कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: एम0ई0–3/2024/686 लखनऊ:दिनांक 01 अप्रैल 2024

नीट यू0जी0 2018 (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट यू0जी0 2018 (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) बैच के अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं:–

- **काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी पृथक से वेबसाईट** dgmeonlineposting.upsdc.gov.in तथा www.dgme.up.gov.in **पर प्रदर्शित की जायेगी।**

- सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की ऑल इंडिया रैंक, अभ्यर्थी की श्रेणी एवं उनके द्वारा काउंसिलिंग में भरे गये विकल्प के आधार ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

- **आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा।** उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- **आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। भारत सरकार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**

- **अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2023 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।**

- **आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।**

- **काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**

- **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं किया जाता है या पंजीकरण के उपरान्त च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग के उपरान्त सम्पूर्ण विकल्प नहीं भरा जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष सीटों में से काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा कालेजों की निर्धारित वरीयता के आधार पर प्रदेश के**

राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज/संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय में उसकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर मेरिट बेस्ड आवंटन प्रदान कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

- अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट dgmeonlineposting.upsdc.gov.in तथा www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।